न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 01 / 2012

GCMS No-2012/00070

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री रतनसिंह देवड़ा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		राजाराम पुत्र गुणेशराम घांची(विक्रेता एवं मालिक) निवासी बोमादडा हाल पाली मैसर्स महालक्ष्मी डेयरी नहर रोड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा

–: निर्णय :–

दिनांक 21.09.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। दिनांक 24.10.2011 को दौराने गश्त मैसर्स महालक्ष्मी डेयरी नहर रोड पाली पर गया जहां पर अप्रार्थी राजाराम घांची उपस्थित मिला जिसको प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की डेयरी में मौके पर करीबन 100 लीटर दुध आमजन को बिक्री के लिए रखा हुआ था, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर दुध की जांच एफएसएस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह श्री ओ.पी हर्ष पुत्र श्री श्याम सुन्दर प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद विभाग पाली एवं श्री उगमसिंह पुत्र श्री धनसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी 278 बी जनता कॉलोनी पाली के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। दुसरे प्रपत्र पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा रखे प्लन्जर से हिला मिलाकर एकरूप करके 2 लीटर दुध वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत रूपये 30 / – नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर गवाह प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा दुध को विक्रेता एंव गवाहान के सामने चार भागो में विभक्त करके चार खाली कांच की शीशी में बराबर मात्रा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

में डालकर प्रत्येक नमूना शीशी को एयर टाईट बंद कर दिया और सभी पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–113 अंकित कर नमुने का विवरण लिखकर प्रत्येक शीशी को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता गवाहान एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर ही विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में उनके समक्ष फर्द मौका तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी की दुध डेयरी से लिये गये दुध के नमूने को वास्ते जांच कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री चन्देश कुमार के द्वारा दिनांक 25.10.2011 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/106/एफएसएसए/2011/97 दिनांक 03.11.2011 के अनुसार अप्रार्थी की डेयरी से लिया गया मिक्स दुध का नमुना क्रमांक आर– 113 अमानक स्तर का (Sub Standard) पाया गया। विक्रेता राजाराम ने अमानक स्तर (Sub Standard) स्तर के मिक्स दुध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जो तथ्य पेश किये वह मनगढत और मिथ्या है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की डेयरी से लिया गया मिक्स दुध का नमूना जो जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नही की गई है। अप्रार्थी एक कम पढ़ा लिखा एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी नही थी। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त कर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण ड्रोप करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स महालक्ष्मी डेयरी नगर रोड पाली से मिक्स दुध का नमुना क्रमांक आर–113 लेते समय नियमानुसार प्रपत्र 5ए तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.10. 2011 को अप्रार्थी की दुध डेयरी से मिक्स दुध क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./106/ एफएसएसए/2011/97 दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

03.11.2011 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–113 को अमानक स्तर (Sub-standard) का माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिक्स दुध अमानक स्तर (Sub-standard) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 21.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)